रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243891 CG-DL-E-24022023-243891

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] No. 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023

सा.का.िन. 123(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उपधारा (1) और (2) के साथ पिठत धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1983, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.-उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-**भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

1229 GI/2023 (1)

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम 1.	पदों की संख्या 2.	वर्गीकरण 3.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4.	चयन अथवा अचयन पद 5.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्य सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौन्नति मामले में लागू हैं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)	48* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण-1:- प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 10 (56100- 177500 रु.)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।
	भी समय निगम में प्रतिनियुक्ति पर माने गए सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।							

टिप्पण-2:-यह				
नियम केंद्रीय				
सरकार के सभी				
सहायक निदेशक				
(राजभाषा) की				
अधिवर्षिता तक				
विद्यमान रहेंगे जो				
निगम में माने गए प्रतिनियुक्ति पर हैं।				
प्रतिनियुक्ति पर हैं।				

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती से या प्रौन्नति से या प्रौन्नति से या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशतता।	प्रौन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रौन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10.	11.	12.	13.
प्रौन्नति द्वारा :	प्रौन्नति: वेतन मेट्रिकस स्तर 6 (रू.	समूह 'क' विभागीय प्रौन्नति समिति	लागू नहीं
टिप्पण-1:- प्रत्येक श्रेणी में	35400-112400) में ऐसे हिंदी	(प्रौन्नति पर विचार करने के लिए):	होता।
किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न	अनुवादक जिन्होंने 10 वर्ष की	1. सदस्य (कार्मिक) प्रसार भारती -	
रिक्तियां फीडर ग्रेड में निगम	नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	अध्यक्ष	
द्वारा निश्चित किए गए	टिप्पण:-ऐसे मामलों में जहां कनिष्ठ	2. अपर महानिदेशक या उप	
कर्मचारियों के दो वर्गो	कर्मियों ने अपनी अर्हक या पात्रता	महानिदेशक, आकाशवाणी –	
अर्थात् निगम में	सेवा पूरी कर ली है और उन्हें	सदस्य	
प्रतिनियुक्तिवत सरकारी	प्रौन्नति के लिए विचार किया जा	3. निदेशक या उप सचिव, सूचना	
कर्मचारी और निगम के	रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ कर्मियों	एवं प्रसारण मंत्रालय - सदस्य	
अधिकारी और कर्मचारी	के संबंध में भी विचार किया	समूह 'क' (स्थायीकरण के लिए)	
द्वारा भरी जाएंगी।	जाएगा, पंरतु यह तब जबकि उसके	विभागीय स्थायीकरण समिति:	
टिप्पण-2:-ऐसी रिक्तियां, जो	द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा	1. सदस्य (कार्मिक) प्रसार भारती -	
प्रौन्नति द्वारा भरी न गई हों,	अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	अध्यक्ष	
वे निगम द्वारा अधिनियम की	आधे से या दो वर्ष से, इनमें जो भी	2. अपर महानिदेशक या उप	
धारा 33 के अधीन	कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे	महानिदेशक, आकाशवाणी –	
अधिसूचित लागू विनियमों	कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने	सदस्य	
के अनुसार प्रतिनियुक्ति	ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही	3. निदेशक या उप सचिव, सूचना	
(अल्पकालीन संविदा सहित)	पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी	एवं प्रसारण मंत्रालय - सदस्य	
द्वारा भरी जाएंगी।	में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा		
	की अवधि पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. ए-48011/2/2013-बीएपी] सी .सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

- **G.S. R. 123(E).**—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) and in supersession of the All India Radio (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (O.L.) in All India Radio, Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1)These rules may be called the All India Radio Assistant Director (O.L.) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**-The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.- No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Savings.-**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in
(4)				(=)		(<u>-</u>)	the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Assistant Director (O.L.).	48* (2023) * Subject to variation dependent on the workload. Note-1:- The aggregate number of posts in the grade occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation shall not, at any	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100- 177500).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

time, exceed the			
total number of			
posts sanctioned			
for that grade.			
Note-2:-These			
rules shall cease			
to exist on the			
superannuation			
of all Assistant			
Directors (O.L.)			
from the Central			
Government			
who are on			
deemed			
deputation to the			
Corporation.			

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commissions to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By promotion. Note-1:- The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grade, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. Note-2:-The vacancies, which may remain unfilled by promotion, shall be filled up by deputation (including short-term contract) in accordance with the applicable regulations notified by the Corporation under section 33 of the said Act.	Promotion: Hindi Translator in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with ten years' regular service in the Grade. Note:-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati -Chairperson; 2. Additional Director General or Deputy Director General, Akashvani - Member; 3. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati -Chairperson; 2. Additional Director General or Deputy Director General, Akashvani - Member; 3. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member.	Not applicable.

[F. No. A-48011/2/2013-BAP] C. SENTHIL RAJAN, Jt. Secy.